

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान शंकरलाल बनाम गिलोडिया वगैरह
मुकदमा नम्बर 413/2024

किरम मुकदमा : अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.10.2024	<p>मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र श्री हीरालाल चौधरी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एकतरफा बहस सूनी गई। पैतृक सम्पत्ति की संबद्धता नहीं है। अतः प्रश्नगत आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। दर्ज रजिस्टर हो। तलबी पेशशुदा तलबाने पर की जाकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 07/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज 07 साहब अन्य सजावर्ष में बरत है। अतः पत्रावली मलादेशानुसार दिनांक 27/11/25 को पेश हो।</p> <p>27/11/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज 16 साहब अन्य सजावर्ष में बरत है। अतः पत्रावली मलादेशानुसार दिनांक 16/1/25 को पेश हो।</p> <p>16/1/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज 17 साहब अन्य सजावर्ष में बरत है। अतः पत्रावली मलादेशानुसार दिनांक 10/9/25 को पेश हो।</p> <p>10/9/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज 10 साहब अन्य सजावर्ष में बरत है। अतः पत्रावली मलादेशानुसार दिनांक 10/9/25 को पेश हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>

को आवाज लगाई गई। अनुपलब्ध।
प्राचीं स्वयं भी अनुपलब्ध। अतः पत्रावली
अवम हाजरी / अवम पैरवी में इसी स्वरूप
खातिज की जाती है। पत्रावली के सल
सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।